the then Additional Chief Secretary & Finance Commissioner, Government of Karnataka, Shri S. Bangarappa, former Chief Minister of Karnataka and Shri V. Gokul Krishna, Director of M/s Classik Computer systems, Bangalore.

दक्षिणी राज्यों में ग्रेड-II कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा उन्हें ग्रेड-II में नियुक्त किया जाना

2007. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय सचिवालय/सम्बद्ध कार्यालयों से कितने अवर श्रेणी लिपिकों को स्थानांतरित कर मंत्रालयों के अधीन दक्षिणी राज्यों में स्थित कार्यालयों में लिपिक ग्रेड-II के पद पर नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार के स्थानांतरण लिपिक ग्रेड-II नियुक्ति नियमों के अनुसार किये गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दक्षिणी राज्यों में स्थित कार्यालयों ने उपर्युक्त अवधि में न तो कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियां अधिसूचित की है और न ही इस संबंध में आयोग से नियुक्ति के लिये अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है तथा ये कार्यालय सक्षम प्राधिकारी से भर्ती संबंधी नियमों को शिथिल करवाये बिना ही रिक्त पदों को भरते रहे हैं ;

(घ) इस प्रकार भरे गये रिक्त पदों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिये आरक्षित कितने पद सामान्य श्रेणी के प्रत्याशियों से भरे गये हैं ; और

(ङ) इस प्रकार नियमों की पूर्णतया उपेक्षा करके आरक्षित पदों को भरने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो सके ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्रीमती मारग्रेट आल्वा : (क) और (ख) अन्तःविभागीय स्थानांतरणों द्वारा नियुक्त किए अवर श्रेणी लिपिकों से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। स्थानान्तरण द्वारा नियुक्तियां आम तौर पर वहां की जाती हैं जहां भर्ती नियमों में ऐसी नियुक्तियों के लिए प्रावधान है। जहां ऐसा प्रावधान नहीं है वहां नियुक्तियां भर्ती नियमों में छूट प्रदान कर की जा सकती है।

(ग) दक्षिणी राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय कर्मचारी चयन आयोग को अवर श्रेणी लिपिकों की रिक्तियां अधिसूचित करते आ रहे हैं। आयोग उन्हें सूचित रिक्तियों के आधार पर भर्ती करता है। जहां तक छूट प्रदान करने का सम्बन्ध है समूह "ग" तथा "घ" पदों के भर्ती नियमों में छूट प्रदान करने की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालयों को प्रत्यायोजित की गयी है और इस प्रकार के मामलों की संख्या से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीकृत रूप से मानिटर नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) यह सूचना केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रावधान विद्यमान है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, उनके लिए अरक्षित पदों पर उनके हक से उन्हें वंचित करने के लिए नियमों का दुरुपयोग न हो।

Facilities to handicapped persons

2008. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Central Government Employees, who are orthopaedically handicapped, are given concession and facilities for their physical disabilities;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of such employees in each Ministry/Department who are availing of these concessions/facilities at present?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS WITH